

**अनुदान संख्या 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय**  
**GRANT No. 88-MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2320,00,00		
पूरक	Supplementary	16,02,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			48,81,76
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
मूल	Original	139,00,00		
पूरक	Supplementary	9,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5305.36 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1602.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5305.36 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1602.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	33242.00		
पू.	S.	202.00	29810.13	29645.15
पु.	R.	-3633.87		-164.98

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	32269.00		
पू.	S.	1082.00	29037.57	28797.19
पु.	R.	-4313.43		-240.38
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	9025.00	..	..
पु.	R.	-9025.00		..
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	155145.00	167877.56	167877.78
पु.	R.	12732.56		+0.22
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	805.00	118.63	117.83
पु.	R.	-686.37		-0.80

(I) 11590.00 लाख रु. का प्रावधान सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 11120.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.11590.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty seven heads; of these Rs.11120.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 200.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धाश्रमों आदि के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को सहायता" - 1170.00 लाख रु. स्कीमें तैयार न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(i) "बाल छात्रवास" - 200.00 लाख रु. राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1900.00 लाख रु.;

(ख) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें" - 1090.00 लाख रु.;

(ग) "समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण" -

(i) "विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण" - 950.00 लाख रु.;

(ii) "विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम" - 450.00 लाख रु.;

(iii) "दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम" - 950.00 लाख रु.;

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Education - Post-Matric Scholarships" - Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Union Territories Administration.

(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations/Panchayati Raj Institution for construction of old aged homes etc." - Rs.1170.00 lakhs - due to non-formulation of the schemes.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education" -

(i) "Boys Hostels" - Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments/Universities.

(ii) "Post Matric Scholarship" - Rs.1900.00 lakhs;

(b) "Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan - Schemes under Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan" - Rs.1090.00 lakhs;

(c) "Social Welfare - Welfare of Handicapped" -

(i) "Aids and Appliances for the Handicapped" - Rs.950.00 lakhs;

(ii) "Scheme for Implementation for Persons with Disability Act 1995" - Rs.450.00 lakhs;

(iii) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - Rs.950.00 lakhs;

- |  |  |
|--|--|
| (iv) "राष्ट्रीय संस्थानों के निधीयन के लिए स्कीम" - 200.00 लाख रु.;  | (iv) "Scheme for funding the National Institutes" - Rs.200.00 lakhs;   |
| (घ) "समाज कल्याण - मद्य निषेध - मद्य निषेध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा कार्य" - 540.00 लाख रु.; | (d) "Social Welfare – Prohibition – Education work for Prohibition & Drug abuse Prevention" – Rs.540.00 lakhs;                       |
| (ङ) "समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" -  | (e) "Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations" –   |
| (i) "वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 200.00 लाख रु.;                          | (i) "Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to aged" – Rs.200.00 lakhs;                                       |
| (ii) "वृद्धाश्रमों आदि के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/ पंचायती राज संस्थाओं को सहायता" - 130.00 लाख रु.;      | (ii) "Assistance to Voluntary Organisations/ Panchayati Raj Institutions for construction of old aged homes etc." - Rs.130.00 lakhs; |
| (च) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा" -   | (f) "Welfare of Backward Classes – Education" –  |
| (i) "बाल और बालिका छात्रावास" - 350.00 लाख रु.;  | (i) "Boys and Girls Hostels" – Rs.350.00 lakhs;  |
| (ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1325.00 लाख रु.; और  | (ii) "Post-Matric Scholarship" – Rs.1325.00 lakhs; and   |
| (iii) "मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - 300.00 लाख रु.।  | (iii) "Pre-Matric Scholarship" – Rs.300.00 lakhs.  |

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- |  |  |
|--|--|
| (छ) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - अनुसूचित जाति संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 240.00 लाख रु. स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे। | (g) "Welfare of Scheduled Castes – Other Expenditure – Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" – Rs.240.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Voluntary Organisations. |
| (घा) मुख्य शीर्ष "3601" -  | (D) Major Head "3601" -  |

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की जन्म के पश्चात देखभाल करने के लिए वित्तीय सहायता” - 500.00 लाख रु. नई स्कीम आस्थगित किए जाने के कारण थे।

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - कोचिंग और संबद्ध स्कीमों” - 300.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमों” - 125.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2225” - “सामान्य - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग” - 188.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 196.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 21.43 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - अन्य स्कीमों” - 16300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 16321.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1973.83 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन अभिकरणों से पूर्ण प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(a) “Grants for Central Plan Schemes – Social Welfare – Welfare of Handicapped – Financial Assistance to women with disability to look after their children after birth” – Rs.500.00 lakhs – due to deferment of new scheme.

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Education – Coaching and Allied Schemes” – Rs.300.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(E) Major Head “3602” – “Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan - Schemes under Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan” – Rs.125.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Union Territories Administration.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head “2225” – “General – Direction and Administration – National Commission for Safai Karamcharies” - the original provision of Rs.188.00 lakhs was augmented to Rs.196.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.21.43 lakhs (including supplementary grant) – due to economy measures.

(B) Major Head “2235” – “Social Welfare – Welfare of Handicapped – Other Schemes” - the original provision of Rs.16300.00 lakhs was augmented to Rs.16321.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1973.83 lakhs (including supplementary grant) – due to less receipt of complete proposals from the implementing agencies and imposition of Model Code of Conduct by the Election Commission.

(III) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

- (का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण" -
- (क) "शिक्षा" -
- (i) "बाल छात्रावास" - 452.52 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) "बालिका छात्रावास" - 997.38 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विश्वविद्यालयों से पर्याप्त और पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (iii) "अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा" - 1504.53 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) "अन्य व्यय - अनुसूचित जातियों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 1210.29 लाख रु. की बचत (3360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम सिफारिश/निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने और निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" -

- (क) "निर्देशन और प्रशासन - आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच करने संबंधी राष्ट्रीय आयोग" - 114.82 लाख रु. की बचत (129.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मई, 2008 में आयोग को समाप्त कर दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2225" – savings occurred under the following heads:-

- (A) "Welfare of Scheduled Castes" -
- (a) "Education" –
- (i) "Boys Hostel" – saving of Rs.452.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs); and
- (ii) "Girls Hostels" – saving of Rs.997.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate and complete proposals from Universities.

- (iii) "Top Class Educations for SCs" – saving of Rs.1504.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Institutions.
- (b) "Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" – saving of Rs.1210.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3360.00 lakhs) was due to receipt of less recommendation/inspection reports from the State Governments and imposition of Model Code of Conduct by the Election Commission.

(B) "General" –

- (a) "Direction and Administration – National Commission to Examine the issue of sub-categorisation of Scheduled Castes in Andhra Pradesh" – saving of Rs.114.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.129.00 lakhs) was due to winding up of the Commission in May, 2008.

(ख) “अन्य व्यय - विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों को छात्रवृत्ति ” - 111.29 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “मद्य निषेध - मद्य निषेध के लिए शिक्षा कार्य” - 877.11 लाख रु. की बचत (2960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से सिफारिशें देर से प्राप्त होने और निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(खा) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” -

(क) “सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 189.46 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 228.42 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पूर्ण प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) “अन्य कार्यक्रम - सूचना और जन शिक्षा कक्ष” - 185.88 लाख रु. की बचत (1040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(b) “Other Expenditure – Scholarship to Student of Scheduled Castes and Other Categories for Studies Abroad” – saving of Rs.111.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less re-imbusement claims from Ministry of External Affairs.

(IV) Under Major Head “2235” – “Social Welfare” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Prohibition – Education Work for Prohibition” – saving of Rs.877.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2960.00 lakhs) was due to late receipt of recommendations from State Governments and imposition of Model Code of Conduct by the Election Commission.

(B) “Assistance to Voluntary Organisations” –

(a) “Assistance to Voluntary Organisations for Providing Social Defence Services” – saving of Rs.189.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Voluntary Organisations.

(b) “Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged” - saving of Rs.228.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to less receipt of complete proposals from the implementing agencies and imposition of Model Code of Conduct by the Election Commission.

(c) “Other Programmes – Information and Mass Education Cell” – saving of Rs.185.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1040.00 lakhs) was due to imposition of Model Code of Conduct by the Election Commission.

(V) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 को लागू करने के लिए स्कीम” - 445.50 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा ” -

(क) “बाल छात्रावास” - 724.21 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त और पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम” - 8050.51 लाख रु. की बचत (72600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अन्य स्कीमों” के अंतर्गत 377.76 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 256.19 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7391.96 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 330.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes – Social Welfare – Welfare of Handicapped – Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995” – saving of Rs.445.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Education” -

(a) “Boys Hostels” – saving of Rs.724.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate and complete proposals from the State Governments.

(b) “Post-Matric Scholarship Scheme” – saving of Rs.8050.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.72600.00 lakhs) was due to non-approval of revision of the scheme.

(VI) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Education – Other Schemes” – saving of Rs.377.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories Administration.

(VII) Under four heads savings of Rs.256.19 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.7391.96 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.330.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demand for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2225” - “अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” - 1294.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1293.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2235” - “समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - द्विपक्षीय करार के अधीन शुल्क मुक्त परेषण की चढ़ाई उतराई एवं निकासी” - 52.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - 6045.96 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें” - 13374.12 लाख रु. का अधिक व्यय (46760.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कुछ राज्य सरकारों से अधिक आवश्यकता प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा” -

(i) “सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार की रोकथाम अधिनियम, 1989 लागू किए जाने की व्यवस्था - 456.22 लाख रु. का अधिक व्यय (3790.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार, हरियाणा, केरल और पंजाब की राज्य सरकारों से अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(A) Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Castes - Education - Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Castes” - Rs.1294.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1293.00 lakhs.

(B) Major Head “2235” - “Social Welfare - Other Programmes - Handling, Clearance of Duty-free consignment under bilateral agreements” - Rs.52.00 lakhs.

(C) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Backward Classes - Education - Post-Matric Scholarship” - Rs.6045.96 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance for Scheduled Castes Component - Schemes under Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan” - excess of Rs.13374.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46760.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and more requirement from some State Governments.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Welfare of Scheduled Castes - Education” -

(i) “Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989” - excess of Rs.456.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3790.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the State Governments of Bihar, Haryana, Kerala and Punjab.

- (ii) “बालिका छात्रावास” - 1449.91 लाख रु. का अधिक व्यय (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।
- (iii) “मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम” - 554.31 लाख रु. का अधिक व्यय (5370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा” -
- (i) “बालक और बालिका छात्रावास” - 380.46 लाख रु. का अधिक व्यय (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) “मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” - 516.94 लाख रु. का अधिक व्यय (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) “Girls Hostels” – excess of Rs.1449.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the State Governments of Orissa and Uttar Pradesh.
- (iii) “Pre-Matric Scholarship Scheme” – excess of Rs.554.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5370.00 lakhs);
- (b) “Welfare of Backward Classes – Education” –
- (i) “Boys & Girls Hostels” – excess of Rs.380.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs); and
- (ii) “Pre-Matric Scholarship” – excess of Rs.516.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4225” अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4225” Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	12550.00	13000.00	13000.00
पु.	R.	450.00		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	450.00	..	..
पु.	R.	-450.00	..	..

(1) 450.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 350.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(1) Provision of Rs.450.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.350.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General (Capital Outlay on Welfare of SCs, STs and Other Backward Classes) - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance and Development Corporation for Weaker Sections" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (450.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were (Rs.450.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "4225" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections".